पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3, आगरा छावनी, आगरा
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एव स्वायत्त निकाय)
डब्लू.ए. सी. लाइन, आगरा छावनी, आगरा, 282001
KENDRIYA VIDYALAYA NO 3, AGRA CANTT, AGRA
(AN AUTONOMOUS BODY UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA)
W.A.C. LINE, AGRA CANTT, AGRA, 282001
ईमेल/E-mail : principalkv3agra@gmail.com
वेबसाइट/Website: no3agracantt.kvs.ac.in
टेलीफ़ोन/Telephone : 0562-2413580, 0562-2411676

फ.न. -30029/केवि क्र.3 आगरा छावनी/2025-26/ **दि. 10/03/2024**

कोटेशन प्रपत्र मूल्य Rs. 500/-

कोटेशन प्रपत्र विद्यालय द्वारा Rs. 500/- जमा कर प्राप्त करना होगा

विषय: सेवा संविदा के माध्यम से विद्यालय में कैटरिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु नियम एवं शर्तें

1. पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय , क्रमांक 3 आगरा छावनी का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन , नई दिल्ली (जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक केंद्रीय वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान है) के अंतर्गत होता है|
2. पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय , क्रमांक 3 आगरा छावनी प्रतिष्ठित/पंजीकृत फर्मों से विद्यालय में अनुबंध के आधार पर कैटरिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु कोटेशन आमंत्रित करता है जिसकी वैधता कार्य प्रारम्भ करने से एक वर्ष हेतु होगी |

(3) कोटेशन भेजने वाली फर्म केवल कोटेशन में संलग्न प्रपत्र में ही दर उद्धरित करेगा (अनुलग्नक – ब एवं स) |

(4) **कोटेशन खुलने के पश्चात फर्मों द्वारा दी गयी दर के आधार पर L-1 नियुक्त किया जाएगा |**

(5) **चयनित फर्म को सुरक्षा राशि के रूप में रू. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में कार्य आदेश मिलने के दो दिन के अन्दर जमा करना होगा जो कि कुशलतापूर्वक संविदा समाप्त होने पर वापस कर दी जायगी |**

फर्म द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होना चाहिए एवं उनके द्वारा विद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा लापरवाही के कारण विद्यालय को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति समबन्धित फर्म द्वारा की जाएगी|

6. नियम और शर्तें :-

(क) अनुबंधित फर्म द्वारा अपने कार्य हेतु नियुक्त किये गए कर्मचारियों के समस्त भुगतान अर्थात वेतन एवं अन्य सांविधिक भुगतान जैसे कि ईपीएफ, इएसआई और अन्य सांविधिक कीमत एवं सेवा प्रभार इत्यादि का भुगतान स्वयं वहन करना होगा , विद्यालय किसी भी दशा में कोई भी भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं होगा |

(ख) अनुबंधित फर्म अपने सभी नियुक्त कर्मचारियों को विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में पहचान पत्र उपलब्ध कराएगी जो कि करार की अवधि तक वैध रहेगें तथा इसकी सूचना विद्यालय को भी देनी होगी |

(ग) अनुबंधित फर्म को इस सम्बन्ध में बनाये गए नियमों का पालन करना होगा |

(घ) अनुबंधित फर्म को आगरा में कैटरिंग सेवाएँ हेतु सक्षम अधिकारी से प्राप्त लाइसेंस की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा | ऐसा न करने पर कोटेशन निरंक मानी जाएगी|

(च) विद्यालय बंद होने के पश्चात कोई भी कर्मचारी विद्यालय परिसर में नहीं रुकेगा |

(छ) यदि कोई नुकसान ,चोरी, तोड़फोड़ फार्म द्वारा नियुक्त कार्मिक के द्वारा की जाती है तो विद्यालय के पास करार एजेंसी से नुकसान की वसूली का दावा करने का अधिकार सुरक्षित है |

(ज) अनुबंधित फर्म द्वारा केवल वे ही कर्मचारी नियुक्त किये जाये जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तथा वे शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा मानसिक रूप से सतर्क हों | अनुबंधित फर्म यह सुनिस्चित करेगी कि तैनात किये गए कर्मचारी को कोई संचारी रोग/ संक्रमित बीमारी न हो|

(झ) अनुबंधित फर्म यह सुनिस्चित करेगी कि उसके द्वारा न तो कोई भी तम्बाकू एवं उससे बने उत्पादों तथा किसी भी प्रकार के नशे का सामान की बिक्री की जाये और न ही उसके द्वारा नियुक्त कार्मिकों द्वारा ड्यूटी के दौरान तम्बाकू एवं उससे बने उत्पादों तथा किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग किया जाये |

(ण) अनुबंधित फर्म अपने सभी कार्मिकों को पूरे अनुबंध के दौरान साफ-सुथरी वर्दी उपलब्ध कराएगी |

(त) अनुबंधित फर्म द्वारा समय-समय पर अपने कार्मिकों द्वारा किये जाने वाले कार्य का आकस्मिक निरीक्षण करेगी |

(थ) कामगारों के बीमा तथा दुर्घटना जोखिम की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी |

(द) संविदाकार द्वारा नियुक्त कामगार की उपस्थिति किसी भी समय अवांछनीय पायी जाती है तो उसे तुरंत विद्यालय परिसर को छोड़ने के लिए आदेश देने का अधिकार विद्यालय को है |

(ध) फर्म द्वारा निर्मित खाद्य सामग्री की जाँच समय-समय पर की जाएगी |

(न) ठेकेदार को स्वयं का तथा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा |

(प) अवकाश के दिन भी यदि निर्देश दिया जाता है तो कैटरिंग सेवाएँ प्रदान करानी होगा |

(फ) खाद्य सामग्री बनाने हेतु उपयोग में आने वाली वस्तुएं उच्च श्रेणी/मानक की ही होनी चाहिए |

(ब) ठेकेदार द्वारा केवल कमर्शियल सिलिंडर का ही प्रयोग किया जायेगा |

(भ) यदि कोई भी शिथिलता ठेकेदार द्वारा बरती जाती है तो वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस सम्बन्ध में होने वाली कानूनी कार्यवाई हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा |

(म) उपर्युक्त बातों के होते हुए भी , विद्यालय सभी कोटेशनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार रखता है और किसी भी समय करार देने से पूर्व समस्त प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकता है|

7. ठेकेदार के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी खाद्य सामग्री का कार्य करने का वैध लाइसेन्स होना चाहिए|

8. कोटेशन भेजने वाली फर्म अपने वैध लाइसेन्स की प्रतिलिपि संलग्नक करें |

नोट:- L -1 फर्म द्वारा खाद्य सामग्री बनाने हेतु उपयोग में आने वाली वस्तुएं उच्च श्रेणी / मानक की ना होने व अनुबंध की शर्तो को पूरा ना करने की स्थिति में L-2 से सेवाएँ ली जाएगी |

<u>कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि _20/03/2025 को दोपहर 3.00 बजे तक है | तथा 21/03/2025 तक कोटेशन फॉर्म अपराहन 12.30 तक जमा किये जायेंगे , अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त कोटेशन पर विचार नही किया जायेगा |</u>

प्राचार्य